वित्त समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24.07.2024

कार्यवृत्त

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बुधवार दिनांक 24.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित वित्त समिति की 44वीं बैठक मे निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

01.	प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 शिवदयाल सिंह (प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य)	सदस्य
03.	प्रतिभा चूड़ावत ,कोषाधिकारी, अजमेर (वित्त विभाग, राज. सरकार के द्वारा मनोनीत संभागीय आयुक्त, अजमेर की ओर से उपस्थित)	सदस्य
04.	पद्मिनी सिंह , वित्त नियन्त्रक	सदस्य सचिव

(शासन सचिव, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सके)

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई जिसमें मदवार निर्णय निम्नानुसार लिएं गये :–

मद सं.	मद का विवरण	निर्णय/अनुशंसा
1	वित्त समिति की 43वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना (विवर्ले–प्रथम) (परिशिष्ट –1)	उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
2	विश्वविद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्व अतिथि शिक्षकों को " विद्या सम्बल योजना " एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशानुसार मानदेय दरें लागु किये जाने पर विचार करना। (संस्थापन अनुभाग)(परिशिष्ट –2)	राजस्थान सरकार की "विद्या सम्बल योजना" अन्तर्गत जारी परिपत्र :प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर , दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के तहत मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ,उदयपुर द्वारा जारी आदेश पत्रांक F.( ) MLSU/Estt/Gr-I/2022/447 Dated 12-11-2022 एवं तत्सम्बन्धी आंशिक संशोधन आदेश F.( ) MLSU/Estt/Gr-I/2023/529 Dated 23-01-23 की भॉति विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी एवं विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्व अतिथि शिक्षकों से अध्यापन सेवाऐं लिये जाने हेतु विज्ञप्ति संस्थापन अनुभाग द्वारा जारी कर तय प्रक्रिया द्वारा राशि रू0 800/– **Per Lecture** अधिकतम 45000/–प्रतिमाह अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाऐं लिये किये जाने की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई । जिन विभागों में शिक्षकों के स्वीकृत पद रिक्त नहीं है इस अवस्था में राज्य सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त करने उपरान्त ही उपरोक्त संस्तुति प्रवत्त मान्य होगी । उक्त दरें प्रबन्ध बोर्ड के आगामी निर्णय/अनुमोदन उपरान्त ही लागु होंगी ।
3	विश्वविद्यालय के धनवन्तरी स्वास्थ्य केन्द्र में 1 महिला चिकित्सक (ऐलोपेथी) एवं 1 महिला नर्स की संविद्वा पर सेवाऐं सेवा– समय के अनुपात में नियमानुसार मानदेय पर लिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ ।	विश्वविद्यालय के धनवन्तरी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में 3 पुरूष चिकित्सकों <u>के अतिरिक्त</u> 1 महिला चिकित्सक (ऐलोपेथी) की सेवाऐं प्राप्त किये जाने हेतु एवं विश्वविद्यालय परिसर में राजकीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर राजस्थान सरकार को स्वीकृति

Scanned with CamScanner

	(संस्थापन अनुभाग)(परिशिष्ट –3)	हेतु पत्र भिजवाये जाने की अनुसंशा की गई । उक्त खोले जाने वाले राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आधाभूत सुविधाऐं यथा–भवन ,विद्युत व पानी इत्यादि संधाधन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा कराई जायेगी। विश्वविद्यालय के महिला कार्मिकों एवं छात्राओं की आकस्मिक चिकित्सा हेतु 1 सेवानिवृत्त महिला नर्स की पूर्णकालीन सेवाऐं विश्वविद्यालय नियमानुसार लिये जाने की भी अनुसंशा की गई ।
4	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन विभाग द्वारा राशि रू0 37,90,000/– तथा राशि रू0 21,00,000/– के विभागीय फर्नीचर , उपकरण , इलेक्ट्रोनिक इत्यादि आईटम खरीद विचार करना । (विवले–प्रथम) (परिशिष्ट –4)	प्रबन्ध अध्ययन विभाग द्वारा विभागीय बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध उपमद फर्नीचर , उपकरण , इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की खरीद एवं सेवाओं हेतु Re-Appropriation/*RevisedEstimate* के माध्यम से बजट आवंटित कराते हुए की जा सकती है । उक्त मंद वित्त समिति की परिधि में नहीं है।
5	विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा पुर्नभरण हेतु B.R. SHASTRI HOSPITAL , AJMER को पेनल मे शामिल किये जाने पर विचार करना । । (विवले–द्वतीय) (परिशिष्ट –5)	विश्वविद्यालय में **RGHS Scheme** शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वेच्छिक लागु होने कारण चिकित्सा पुर्नभरण विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाता है इस हेतु निम्नांकित निजी चिकित्सालयों को विश्वविद्यालय से मान्यता प्रदान किये जाने की अनुसंशा CM & HO अजमेर से सहमति के साथ की गई । 01. B.R. SHASTRI HOSPITAL , AJMER 02.K.G. HOSPITAL, ANA SAGAR ROAD CHRISTIAN GANJ, AJMER 03. PARAS UROLOGY & MULTISPECIALITY HOSPITAL, PUSHKAR ROAD, AJMER 04 BHARAT HOSPITAL, SHASTRI NAGAR, AJMER 05.ARYA NEURO SPINE & SUPER SPECIALITY HOSPITAL, HARIBHAU UPPADHYA NAGAR, AJMER 06.SHARMA DENTAL CLINIC VAISHALI NAGAR AJMER 07. PHYSIO POINT , E-148 SHASTRI NAGAR, AJMER (क्रम संख्या 7 अन्तर्गत विश्वविद्यालय में चूँकि PHYSIO Therepy अभी तक विगत परम्परा में अमल में नहीं है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर उसी प्रकृति की चिकित्सा पुर्नभरण योग्य रहेगी।) अजमेर में जो निजी अस्पताल RGHS स्कीम में सम्मिलित है उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा यथामान्य किये जाने की भी अनुसंशा की गई ।
6	विश्वविद्यालय के भेषजी विभाग में स्व वित्त पोषी पाठयक्रमों (Diploma in Pharmacy & Batchelor in Pharmacy) के संचालन हेतु फुटकर एवं आकस्मिक व्ययों के लिए राशि रू0 25,000/–इम्प्रेस्ट स्वीकृत किये जाने पर विचार करना ।	विश्वविद्यालय के भेषज (Pharmacy) विभाग को (Diploma in Pharmacy & Batchelor in Pharmacy) पाठयक्रमों के संचालन में आवश्यकताओं एवं उत्पन्न कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए विभागीय SFS Budget अधीन पाठयक्रमों की आय से विभागीय व्यय हेतु निर्धारित प्रतिशत की आवंटित राशि की सीमा मे व्यय तथा पुनर्भरण करते हुए Budget Financial and Accounts Rule No. 49 &

	(विवले–द्वतीय) (परिशिष्ट –6)	50 नियमानुसार राशि रू0 25,000/–इम्प्रेस्ट स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई ।
7	विश्वविद्यालय निवेश नीति के अन्तर्गत सावधि जमा हेतु निर्धारित प्रतिबन्धित सीमा राशि रू0 100.00 करोड़ के स्थान पर 150.00 करोड़ किये जाने पर विचार करना। (विवले–द्वतीय) (परिशिष्ट –7)	विश्वविद्यालय निवेश नीति के अन्तर्गत सावधि जमा हेतु निर्धारित प्रतिबन्धित सीमा राशि रू0 100.00 करोड़ पूर्ववत यथावत जारी रखने की अनुसंशा की गई ।
8	विश्वविद्यालय में संचालित स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों (SFS Courses) के अन्तर्गत राज्य सरकार के लेखा संवर्ग के अधिकारियों को भी अतिरिक्त कार्यो के विरूद्व मानदेय पर विचार करना । (विवले–द्वतीय) (परिशिष्ट –8)	विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति की 41वी बैठक दिनांक 10.07.23 के मद संख्या 11 एवं प्रबन्धन बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.23 के निर्णय संख्या 17 (04) की अनुपालना में का.आ. क्रमांक 22845–900 दिनांक 29.08.23 द्वारा चैकों पर एक Signatory राजपत्रित अधिकारी को अनिवार्य करने के कारण विश्वविद्यालय में स्व वित्त पोषित पाठयक्रमों के वित्तीय गतिविधियॉ संचालन कराये जाने के निमित विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भॉति लेखा सम्बन्धी कार्यो में लेखा संवर्ग के अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023–24 से सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक को राशि रू0 2200/–प्रतिमाह मानदेय प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई ।
9	विश्वविद्यालय के विधि(SFS)विभाग में लिए राशि रू0 6,00,000/– के उपकरण , इलेक्ट्रोनिक एवं कम्प्यूटर इत्यादि खरीद पर विचार करना । । (विवले–द्वतीय) (परिशिष्ट –9)	विधि (SFS) विभाग में उपकरण , इलेक्ट्रोनिक एवं कम्प्यूटर इत्यादि खरीद हेतु आवंटित बजट सीमा अन्तर्गत SFS Rules अनुसार ही कार्यवाही करवाये जाने की अनुशंसा की गई । –
10	अन्य कोई मद माननीय कुलपति की अनुमति से	विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों के टेलीफोन बिलों –Establish Static IP Line from BSNL के क्रम में व्ययों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024–25 अन्तर्गत बजट हेड 2202 University Administrationअन्तर्गत सामान्य प्रशासन अनुभाग से नियमानुसार किये जाने की अनुसंशा की गई ।

अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद् ज्ञापन कर समिति की बैठक सम्पन्न हुई ।

प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला
(कुलपति एवं अध्यक्ष)

प्रो0 शिवदयाल सिंह
(प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य)

प्रतिभा चूंड़ावत
कोषाधिकारी, अजमेर
(वित्त विभाग, राज. सरकार के द्वारा
मनोनित संभागीय आयुक्त)

पदमिनी सिंह
वित्त नियन्त्रक एवं सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner